

मांग संख्या 17

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सहकारी बैंकों में विलय के फलस्वरूप संचित हानि एवं प्रावधानों की कमी की पूर्ति हेतु ₹ 4263.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के लिए 23,35,00,000 तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अम्बिकापुर के लिए ₹ 19,28,00,000 कुल ₹ 42,63,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 2

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर की अंश पूँजी में धनवेष्ठन हेतु राशि ₹ 865.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 865,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2425

मद कमांक 1

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंशक्रय तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के विषणु के अंश क्रय अनुदान हेतु ₹ 36.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 36,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4425

मद कमांक 2

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर की अंश पूँजी धनवेष्ठन हेतु ₹ 232.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 232,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

कमज़ोर वर्ग के हरिजन कृषकों एवं श्रमिकों को प्राथमिक साख समितियों के अंश क्रय तथा विपणन समितियों के अंश क्रय करने हेतु हरिजन सदस्यों को अनुदान हेतु ₹ 19.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 19,00,000 का प्रावधान किया गया है।